

**न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक, देहरादून**

**C.G No.74/23/2022**

**UNION OF INDIA.**

**Vs.**

**Saravjeet Enterprises.**

**दिनांक : 15.02.2023**

कैवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से 90 दिवस की अवधि समाप्त हो चुकी है। विपक्षी द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः वर्तमान कैवियट प्रार्थना पत्र की अवधि समाप्त होने के कारण निरस्त की जाती है।

कैवियट पत्रावली अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(आशुतोष कुमार मिश्र)  
अपर जिला न्यायाधीश,  
वाणिज्यिक न्यायालय  
देहरादून।